प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) संख्या 4522/2009

राजेश्वरी राठौर एवं अन्य **..... याचिकाकर्तागण**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य **..... उत्तरवादीगण**

एवं

रिट याचिका (सेवा) क्र. 3847, 4628, 4632, 4939, 4941, 6228, 6255, 6258, 6704 एवं 7426/2009, रिट याचिका (सेवा) क्र. 3299, 3598, 3599, 3600, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783 एवं 4787/2010 एवं रिट याचिका (सेवा) क्र. 433, 435, 436, 437 एवं 438/2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु सूची बद्ध किया गया 28/02/2011

सही /-

सतीश के अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) संख्या 4522/2009

राजेश्वरी राठौर एवं अन्य ..... **याचिकाकर्तागण**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 3847/2009

कृष्ण कुमार गजेंद्र ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 4628/2009

भरत लाल देवांगन एवं अन्य ..... **याचिकाकर्तागण**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) संख्या 4632/2009

दिलीप कुमार चौबे एवं अन्य ..... **याचिकाकर्तागण**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 4939/2009

पवन कुमार चंद्राकर एवं अन्य ..... **याचिकाकर्तागण**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 4941/2009

राम नाथ शर्मा एवं अन्य ..... **याचिकाकर्तागण**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 6228/2009

मुरली मनोहर दुबे ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 6255/2009

शैलेष सिंह सोमवंशी ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 6258/2009

महेंद्र दुबे ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) संख्या 6704/2009

पद्मा देवांगन ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 7426/2009

लक्ष्मी कुमार डड़सेना ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 3299/2010

अनिल कुमार सोनी एवं अन्य ..... **याचिकाकर्तागण**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 3598/2010

विजयलक्ष्मी साहू ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 3599/2010

कृष्ण कुमार गजेंद्र ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 3600/2010

लोकेश कुमार साहू एवं अन्य ..... **याचिकाकर्तागण**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) संख्या 4779/2010

थनवर दास डेकर एवं अन्य ..... **याचिकाकर्तागण**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 4780/2010

मोहम्मद मुस्तकीन ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 4781/2010

रश्मि मिश्रा ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 4782/2010

गोविन्द राम साहू एवं अन्य ..... **याचिकाकर्तागण**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 4783/2010

लखन लाल वर्मा ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 4787/2010

विमलेश कुमार साहू ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 433/2011

पुष्पेंद्र सिन्हा एवं अन्य ..... **याचिकाकर्तागण**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) संख्या 435/2011

तुलसी देवांगन ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 436/2011

महेश कुमार ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 437/2011

देवेश दत्त ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) संख्या 438/2011

गिरीश कुमार साहू एवं अन्य **..... याचिकाकर्तागण**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य **..... उत्तरवादीगण**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिकाएं)

उपस्थिति-

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री के.आर. नायर, श्री जीतेन्द्र पाली, श्री मतीन सिद्दीकी एवं श्री वरुण शर्मा, अधिवक्तागण ।

राज्य/उत्तरवादी जनपद पंचायत,

पोंडी उपरोड़ा की ओर से: श्री वाय.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता।

उत्तरवादीगण की ओर से: श्री एम.पी.एस भाटिया, श्री श्रीजीत सी.एस. नायर, श्री पवन श्रीवास्तव एवं श्री अखिलेश कुमार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश पारित दिनांक 28/02/2011

1. डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 4522, 3847, 4628, 4632, 4939, 4941, 6228, 6255, 6258, 6704 एवं 7426/2009, डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3299, 3598, 3599, 3600, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783 एवं 4787/2010 तथा डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 433, 435, 436, 437 एवं 438/2011 में समान तथ्यों के साथ विधि का सामान्य प्रश्न है, इसलिए सभी याचिकाओं का निपटारा इस समान आदेश द्वारा किया जा रहा है।

2. प्रकरण के निराकरण के लिए, डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 4522/2009 के तथ्य यहां दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने, छत्तीसगढ़ राज्य की अलग-अलग जनपद पंचायतों द्वारा जनवरी, 2008 में जारी किए गए विज्ञापनों के अनुसार, शिक्षाकर्मी वर्ग-III के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। परीक्षा अप्रैल, 2008 में हुई थी। परीक्षा का नतीजा 10-6-2008 को घोषित किया गया था। सभी याचिकाकर्ताओं प्रतीक्षा सूची में रखा गया था, लेकिन

सूची की वैधता खत्म होने के कारण उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सका। इसलिए, यह याचिकाएं प्रस्तुत की गई है ।

3. इन प्रकरणों के समूह में में, जनपद पंचायत पोंडी उपरोड़ा और पाली (कोरबा), मुंगेली (बिलासपुर), खरसिया (रायगढ़), गुरुर (दुर्ग), मैनपुर, बलौदा बाजार और अभनपुर (रायपुर), कुरुद (धमतरी), बसना (महासमुंद), भानुप्रतापपुर (कांकेर) और खैरागढ़ (राजनांदगांव) के संबंध में नियुक्तियां शामिल हैं।

4. डब्ल्यू.पी. (एस) क्र. 3847 / 2009 में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नायर, डब्ल्यू.पी. (एस) क्र. 4522, 4628, 4632, 4939 और 4941/ 2009 में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पाली और श्री शर्मा एवं डब्ल्यू.पी. (एस) क्र. 6228, 6255, 6258, 6704 और 7426/2009, डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3299, 3598, 3599, 3600, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783 और 4787/2010 और डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 433, 435, 436, 437 एवं 438 में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्दीकी, ने तर्क प्रस्तुत किया कि खण्ड 4.24 के अनुसार, सभी रिक्तियां, जो चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी आधार पर उत्पन्न हुईं और बनाई गईं, उन्हें शुरुआत में एक साल की वैधता अवधि के भीतर भरा जाना चाहिए था, जिसे बाद में प्रतीक्षा सूची जारी होने से तेरह महीने तक बढ़ाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रस्तुत प्रकरण में, शुरू में 30-5-2009 के परिपत्र द्वारा चयन/प्रतीक्षा सूची की वैधता की अवधि को तीन महीने के लिए अर्थात 31-8-2009 तक बढ़ाया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों के कारण आचार संहिता लागू होने की वजह से वैधता की अवधि बढ़ाना ज़रूरी हो गया था। इसके बाद, दिनांक 25-6-2009 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 2007 (संक्षेप में "नियम, 2007") के नियम 6 के उप-नियम (7) के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (xi) के तहत दी गई "एक साल" की वैधता को "तेरह महीने" से बदल दिया गया। इस तरह, याचिकाकर्ता उन रिक्त पदों पर भी नियुक्त होने के हकदार हो गए, जो चयन प्रक्रिया के दौरान, परिणाम घोषित होने के बाद बने या रिक्त हुए थे।

6. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि रिक्तियां के बारे में कोई विवाद नहीं है। इसलिए, उत्तरवादी अधिकारियों को प्रतीक्षा सूची

के अनुसार संबंधित जनपद पंचायतों में याचिकाकर्ताओं को शिक्षाकर्मी ग्रेड III के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया जा सकता है।

7. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि उत्तरवादी अधिकारि, चयन/प्रतीक्षा-सूची वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति को बिना उचित कारण बताए इस आधार पर नहीं रोक सकते कि उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अजेय अधिकार नहीं है।

8. इस तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों, जिसमें गुजरात राज्य उप कार्यपालन अभियंता संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य[1], प्रबंधक, एस.सी.टी.आई. चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं अन्य बनाम एम. पुष्करन[2], भारत संचार निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम अभिषेक शुक्ला एवं अन्य[3] और नसीम अहमद एवं अन्य बनाम उ.प्र. राज्य, एवं अन्य[4] का अवलंब लिया है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि दूसरी जनपद पंचायतों में भी 30-6-2009 के बाद नियुक्ति किए गए हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता भी उनके बराबर समान व्यवहार और समानता के हकदार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित उप-महाधिवक्ता श्री ठाकुर और उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री भाटिया, श्री श्रीजीत सी.एस. नायर, श्री श्रीवास्तव और श्री अखिलेश कुमार ने तर्क प्रस्तुत किया कि नियम, 2007 में दिए गए एक साल की वैधता अवधि को 30 जून, 2009 के कार्यकारी परिपत्र द्वारा 31 अगस्त, 2009 तक नहीं बढ़ाया जा सकता था और, इस तरह, उसी कमी को नियम, 2007 के नियम 6 में संशोधन करके ठीक कर दिया गया, जिसके तहत “एक साल” शब्द की जगह “तेरह महीने” शब्द रखा गया। इस तरह, चयन/प्रतीक्षा-सूची की वैधता दिनांक 30-6-2009 तक थी। नियुक्तियाँ नहीं की जा सकीं, क्योंकि दिनांक 25-6-2009 के अधिसूचना से चयन/प्रतीक्षा-सूची की वैधता का समय बढ़ाने के बाद, सिर्फ़ पाँच दिन का समय बचा था। पाँच दिनों के अंदर दस्तावेज़ सत्यापन करना और परामर्श करना और उसके बाद नियुक्ति का आदेश पार्रित करना संभव नहीं था, और इस तरह, रिक्तियां नहीं भरी जा सकीं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 30/06/2009 तक उपलब्ध रिक्तियां, बाद के चयन प्रक्रिया का हिस्सा बन गईं। फलस्वरूप, शिक्षाकर्मी ग्रेड-III के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए दिनांक 3/10/2009 का एक विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद का चयन प्रक्रिया पहले ही खत्म हो चुका है और 3/10/2009 के विज्ञापन के अनुसरण में नियुक्तियां किए जा रहे हैं।

1994 Supp (2) SCC 591
[2] (2008) 1 SCC 448
[3] (2009) 5 SCC 368
[4] 2011 AIR SCW 113

11. मैंने पक्षकारों की तरफ से विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, उनके अभिवचनों और उनके साथ दिए गए दस्तावेजों का अवलोकन किया।

12. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। विज्ञापन का खंड 4.24 प्रतीक्षा सूची की वैधता के समय के अंदर उपलब्ध सभी पद पर नियुक्ति करने का भी प्रावधान करता है। खंड 4.24 इस प्रकार है:-

> ""4.24 संपूर्ण प्रतीक्षा सूची सहित चयन सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष तक के लिये वैध होगी तथा इस अवधि में नये पदों की स्वीकृति या किसी भी कारण से हुए रिक्त पदों की भर्ती इस प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी।"

ऊपर बताए गए तथ्य पर उत्तरवादीगण द्वारा भी कोई विवाद नहीं उठाया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. दिनांक 30-5-2009 के कार्यपालक निर्देश के हिसाब से, वैधता का समय दिनांक 30-8-2009 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन यह कानूनी तौर पर सही नहीं था। चयन/प्रतीक्षा सूची की वैधता नियम, 2007 के नियम 6 में बताई गई थी। इसे सिर्फ़ नियम, 2007 में बदलाव करके ही बदला, संशोधित या प्रतिस्थापित किया जा सकता था, जो उसके बाद दिनांक 25-6-2009 के अधिसूचना से किया गया। दिनांक 25-6-2009 का अधिसूचना इस तरह है:

> "सं./764/P/PGW/22/2009. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) के साथ पठित उप-धारा 70 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्"
>
> **संशोधन**

उक्त नियम में –

नियम 6 के उप-नियम (7) के खंड (छ) के उप-खंड (xi) में,"एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तेरह महीने" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

याचिकाकर्ता दिनांक 30-5-2009 की कार्यपालक निर्देशों के आधार पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। अतः, यह माना जाता है कि चयन/प्रतीक्षा सूची केवल 30-6-2009 तक ही वैध थी।

14. याचिकाकर्ताओं का आखिरी तर्क यह है कि दूसरी जनपद पंचायतों में, प्रतीक्षा सूची की वैधता के समय के बाद भी कई नियुक्तियां किए गए हैं। ऐसे नियुक्तियों के आधार पर, याचिकाकर्ता समतुल्यता या अनुतोष का दावा नहीं कर सकता। यह एक सुस्थापित कानून है कि अगर कुछ अवैध नियुक्तियां किए गए हैं, तो बराबरी का दावा नकारात्मक रूप से नहीं किया जा सकता, वही लाभ दूसरे लोगों को भी नहीं दिया जा सकता।

15. दूसरी जनपद पंचायतों में कुछ नियुक्तियों के तथ्य पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को वही लाभ नहीं दिया जा सकता, जहाँ सूची की वैधता के समय के बाद अवैध नियुक्तियाँ की गई हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इस न्यायालय ने **संजय पाटिल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**[5] में, इसी तरह के मामले पर बात करते हुए निम्नलिखित लिखित टिप्पणी की है कि "अगर राज्य सरकार ने कुछ ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नियमित कर दिया है, जिन्हें नौकरी के

---

[5] WPS No. 5845/2009 निर्णय दिनांक 09/10/2009

संवैधानिक योजना के हिसाब से नियुक्त नहीं किया गया है, तो यह न्यायालय इस आधार पर अवैध नियुक्ति को वैध करने के लिए कोई सकारात्मक निर्देश नहीं दे सकता कि नियोक्ता ने कुछ अवैध नियुक्तियाँ को वैध/नियमित कर दिया है।" (देखें **पंछी देवी बनाम राजस्थान राज्य**[6] और **गुलाम रसूल लोने बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य एवं अन्य**[7])

17. दिनांक 30/6/2009 को या उससे पहले की रिक्तता को बाद के चयन प्रक्रिया में ध्यान में रखा गया था, जिसके लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था और चयन प्रक्रिया याचिकाकर्ताओं ने पूरा कर लिया है। इसके अलावा, उत्तरवादी प्राधिकारी को आगामी रिक्तियों पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम संजय कुमार पाठक एवं अन्य**[8] में यह अवधारित किया कि:-

> "18.. यह सर्वविदित है कि यदि व्यक्तियों के नाम चयन सूची में दिखाई देते हैं, तो भी इससे स्वतः ही कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होता, जब तक कि राज्य की कार्रवाई अनुचित, तर्कहीन या दुर्भावनापूर्ण न पाई जाए। इस प्रकार, राज्य, सद्भावनापूर्वक कार्य करते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में

---

[5](2009) 2 SCC 589
[7](2009) 15 SCC 321
[8](2008) 1 SCC 456
[9](2010) 2 SCC 637

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> निर्धारित सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए , चयनित सूची में से भी किसी को नियुक्त न करने का निर्णय लेने का हकदार है।"

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राखी रे एवं अन्य बनाम उच्च न्यायालय, दिल्ली एवं अन्य**[9] में यह अवधारित किया कि:-

> "24. जिस व्यक्ति का नाम चयन सूची में आता है, उसे नियुक्ति का कोई अजेय अधिकार नहीं मिल जाता। पैनल में शामिल होना ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति के लिए योग्यता की एक शर्त है और अपने आप में यह चयन नहीं माना जाएगा या नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार नहीं बनाता है।रिक्तियों को वैधानिक नियमों के अनुसार और संवैधानिक आदेश के अनुरूप भरा जाना है। इस मामले में, एक बार जब 13 अधिसूचित रिक्तियां भर दी गईं, तो चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई, इसलिए आगे किसी भी नियुक्ति की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती थी।"

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शंकरसन दास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया**[10] में यह अवधारित किया कि:-

"7. यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए रिक्तियों की संख्या अधिसूचित की जाती है और पर्याप्त

---

[10](1991) 3 SCC 47
[11](1993) 2 SCC 573

संख्या में उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं, तो सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति का एक अजेय अधिकार प्राप्त हो जाता है जिसे वैध रूप से नकारा नहीं जा सकता। सामान्यतः अधिसूचना केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आवेदन करने का आमंत्रण होती है और उनके चयन पर उन्हें पद का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जब तक संबंधित भर्ती नियमों में ऐसा संकेत न दिया गया हो, राज्य सभी या किसी भी रिक्ति को भरने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य को मनमाने ढंग से कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। रिक्तियों को न भरने का निर्णय उचित कारणों से सद्भावनापूर्वक लिया जाना चाहिए। और यदि रिक्तियां या उनमें से कोई भी भरी जाती हैं, तो राज्य भर्ती परीक्षा में परिलक्षित उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है और किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। इस न्यायालय द्वारा इस सही स्थिति का लगातार पालन

किया गया है, और हमें हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाहा , नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य , और जितेंद्र कुमार बनाम पंजाब राज्य, के निर्णयों में कोई असहमतिपूर्ण बात नहीं मिलती है।''

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **आशा कॉल (श्रीमती) एवम अन्य बनाम जम्मू कश्मीर राज्य एवम अन्य**[11] में यह अवधारित किया कि:-

"8. यह सच है कि सिर्फ चयन सूची में शामिल होने से उसमें शामिल उम्मीदवारों को नियुक्ति का अजेय अधिकार नहीं मिल जाता (हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाहा,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मणि सुब्रत जैन बनाम हरियाणा राज्य, केरल राज्य बनाम ए. लक्ष्मीकुट्टी) लेकिन यह मामले का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू है सरकार का निष्पक्ष रूप से काम करने का दायित्व। पूरी प्रक्रिया को स्वांग नहीं बनाया जा सकता। एक विशिष्ट वर्ग के लिए एक विशिष्ट संख्या में उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आयोग को एक अधिग्रहण/अनुरोध भेजने के बाद, - जिसके तहत आयोग एक अधिसूचना जारी करता है, लिखित परीक्षा आयोजित करता है, साक्षात्कार लेता है, एक चयन सूची तैयार करता है और फिर सरकार को सूचित करता है - सरकार चुपचाप और बिना किसी ठोस और वैध कारण के पूरी प्रक्रिया को रद्द नहीं कर सकती और उम्मीदवारों
को यह नहीं कह सकती कि उन्हें नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है ..... "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गुजरात राज्य उप कार्यपालन अभियंता संघ (पूर्वोक्त)** में यह अवधारित किया कि:-

"8. अगले मुद्दे पर आते हैं, पहला सवाल यह है कि प्रतीक्षा सूची क्या है?; क्या इसे भर्ती का एक ऐसा ज़रिया माना जा सकता है जिससे ज़रूरत पड़ने पर उम्मीदवार चुने जा सकें?; और आखिर में यह कब तक चल सकती है? ये कुछ ज़रूरी सवाल हैं जो उच्च न्यायालय के दिए गए निर्देश की वजह से उठते हैं। सेवा मामलों में सक्षम प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई प्रतीक्षा सूची, पात्र और योग्य उम्मीदवार की सूची होती है, जिन्हें योग्यता के क्रम में आखिरी चुने गए उम्मीदवार से नीचे रखा जाता है। इसे कैसे काम करना चाहिए और इसका स्वरूप क्या है, यह नियमों से तय हो सकता है। आमतौर पर यह

उस चयन या परीक्षा से जुड़ा होता है जिसके लिए इसे तैयार किया जाता है। । उदाहरण के लिए, अगर 1990 के लिए 10 उम्मीदवार चुनने के लिए कोई परीक्षा होता है और सक्षम सक्षम प्राधिकारी प्रतीक्षा सूची बनाती है, तो यह सिर्फ़ उन 10 सीटों के लिए होती है जिनके लिए चयन या प्रतिस्पर्धा हुआ था। इसका कारण यह है कि जब भी चयन होता है, सिवाय एकल पद के मामलों को छोड़कर, यह आमतौर पर न केवल विज्ञापन जारी होने या आवेदन बुलाए जाने की तारीख को मौजूद खाली पदों की संख्या को ध्यान में रखकर किया जाता है, बल्कि उन पदों को भी ध्यान में रखा जाता है जो सेवा-निवृत्ति वगैरह के कारण एक साल या उससे कम समय में भविष्य में खाली होने की संभावना है। यह खासकर तब होता है जब आयोग द्वारा नियमित चयन किए जाते हैं। ऐसी सूची या तो नियमों के तहत या किसी और तरह से मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जाती हैं कि अगर चुने गए उम्मीदवार किसी न किसी कारण से कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं या अगला चयन या परीक्षा जल्द ही नहीं होती है, तो कार्यालय के काम पर कोई असर न पड़े। योग्यता के क्रम में प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवार को यह दावा करने का अधिकार है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि अगर कोई एक या दूसरा चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसे नियुक्त किया जाए। लेकिन एक बार जब चुने हुए उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं और इस्तीफ़े वगैरह या किसी और वजह से उस समय के अंदर कोई रिक्ति नहीं आती है, जिस समय के लिए सूची को नियमों के तहत काम करना है या उस सही समय के अंदर, जहाँ कोई खास समय नहीं दिया गया है, तो प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को भविष्य में आने वाली किसी भी रिक्ति के लिए नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि उसके लिए चयन न हुआ हो। उसे ऊपर बताए गए

सीमित दायरे के अलावा कोई निहित अधिकार नहीं है, या जब नियुक्ति प्राधिकारी मनमाने ढंग से कार्य करता है और बाहरी कारणों से प्रतीक्षा सूची से चुनकर नियुक्तियां करता है।"

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **निदेशक, एससीटीआई, चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, (पूर्वोक्त)** जो कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत, में यह अवधारित किया कि:-

"11. इस संबंध में लागू कानून पर न तो कोई संदेह है और न ही कोई विवाद। किसी व्यक्ति का नाम चयन सूची में होने मात्र से ही उसे नियुक्ति का प्रस्ताव देना उचित नहीं है। चयन सूची में शामिल व्यक्ति को इस संबंध में कोई कानून अधिकार प्राप्त नहीं है। चयनित व्यक्तियों को राज्य की सद्भावनापूर्ण कार्रवाई के अधीन नियुक्ति का कोई कानून अधिकार नहीं है।"

"16. अतः यह स्पष्ट है कि चयनित व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और उच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए सामान्यतः नियोक्ता की ओर से दुर्भावना या मनमानी के किसी भी प्रमाण या दलील के अभाव में कोई रिट जारी करने का निर्देश नहीं देगा। इसलिए प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संचार निगम लिमिटेड (पूर्वोक्त)** में यह अवधारित किया कि:-

"17. अतः, हमें आक्षेपित निर्णयों में कोई त्रुटि नहीं मिलती। हालांकि, हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि सामान्यतः ऐसे पैनल का कार्यकाल एक वर्ष का होता है, जैसा कि इस न्यायालय ने गिरधर कुमार दाधीच बनाम राजस्थान राज्य में कहा है। यद्यपि, चयन सूची को अपीलकर्ता द्वारा अगस्त 2003 में ही अनुमोदित किया गया था और उत्तरवादी ने इसके एक वर्ष के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे, इसलिए हमारी राय में उक्त आवश्यकता इस मामले

में भी पूरी हो जाती है। इसके अलावा, ऐसा प्रश्न अधीनस्थ अदालतों के समक्ष कभी नहीं उठाया गया था। यदि ऐसा प्रश्न उठाया गया होता, तो उत्तरवादी इस पर विचार कर सकते थे। (देखें अमलान ज्योति बोरूआ बनाम असम राज्य।"

25. नसीम अहमद (पूर्वोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला,जो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान् अधिवक्ता द्वारा उद्धृत किया गया है, वह इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि उस मामले में अपील करने वालों को परिणाम घोषित होने के एक साल के अंदर नियुक्त किया गया था। इसके बाद, दिनांक 19-9-2003 के आदेश से यह तय किया गया कि सिर्फ़ दिनांक 19-9-2001 के बाद किए गए नियुक्तियां ही तदर्थ थे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चूंकि सभी अपील करने वालों को एक साल के अंदर नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्हें तदर्थ नहीं माना जा सकता। हालांकि, उस मामले में वैधता को नियंत्रण करने वाले नियम 12 में कोई समय सीमा नहीं दी गई थी। इसलिए, यह इस तरह माना गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"11..... जब तक प्रतीक्षा सूची समाप्त नहीं हो जाती, नियम 12 के अन्तर्गत नवीन सूची तैयार नहीं की जा सकती तथा उत्तरवादीगण द्वारा नवीन पदों का विज्ञापन करने एवं प्रतीक्षा सूची को तदर्थ बनाकर निरस्त करने की जो प्रक्रिया आरम्भ की गयी है, वह नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध है।"

मौजूदा मामलों में वैधता अवधि नियम, 2007 में ही निर्धारित है, इस प्रकार, नसीम अहमद (पूर्वोक्त) वर्तमान मामलों के तथ्यों पर अलग पहचाने जा सकते हैं।

26. यह सत्य है कि उम्मीदवारों के नियुक्ति को इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि जो उम्मीदवार चयन/प्रतीक्षा सूची में हैं, उन्हें नियुक्ति का कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसे खत्म न किया जा सके। नियुक्ति से मना करना अनुचित, अतार्किक या असद्भावपूर्वक नहीं होना चाहिए।

27. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, यह साबित हो चुका है कि वास्तविक और निष्पक्ष कठिनाइयों के कारण नियुक्तियां नहीं की जा सकीं। इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता है कि नियुक्ति अनुचित, अतार्किक या असद्भावपूर्वक नहीं की गई थी।"

28. वर्तमान मामलों के तथ्यों पर कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, सभी रिट याचिकाएं, गुण-दोष से रहित होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य हैं और एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।"

29. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

सही /-

सतीश के अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Rakesh Kumar Kashyap

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur